

क्रमांक: प.1 / प्रति-3 / न.क. / मर्ती / 2021 /

निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान—अजमेर  
राजस्थान सरकार

विज्ञापन संख्या 1/2021  
8/72-73 (1)

दिनांक: १७) ६/२०२१

**कम्पाउण्डर/ नर्स जूनियर ग्रेड के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति**

राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 संशोधित नियम, 2010 एवं संशोधित नियम, 2013 एवं 2021 के अन्तर्गत इस विभाग के अधीन कम्पाउण्डर-नर्स जूनियर ग्रेड के निम्न पदों पर नियमित नियुक्ति के लिये सीधी मर्ती हेतु उक्त नियमों में जल्लिखित योग्यताधारी अधिकारियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेब साईट <https://nursing.rauonline.in> पर दिनांक 24.06.2021 प्रातः 10:00 बजे से ऑनलाईन भरे जा सकते हैं:-

क्र. सं.	पदनाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य सर्वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा सर्वर्ग		अति पिछड़ा सर्वर्ग		आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग		नि. शरारत जन		विभागीय उच्च श्रेष्ठ सौनि. भूतपूर्वी सौनि.							
			सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	कर्मचारी लिए रखों के लिए	जिले की डी.एस.सी.एस. और जिले की डी.एस.सी.एस. 12.5%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	कम्पाउण्डर/नर्स जूनियर	507	130	55	185	57	24	81	42	18	60	75	31	106	18	7	25	35	15	50	20	50	10	63

नोट:-

- महिला, भूतपूर्व सौनिकों, विभागीय कर्मचारियों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं विशेष योग्यजनों के लिये आरक्षित पदों का आरक्षण क्षेत्र (Horizontal) होगा।
- विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़तेरी की जा सकती है एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रावधानों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

२५

(1) आवेदन करने की अंतिम तिथि :-

ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 23.07.2021 को मध्य रात्रि 12.00 बजे तक भरे जा सकेंगे। इसके उपरान्त ऑनलाइन लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा। (नियुक्ति प्राधिकारी को विशेष परिस्थितियों में उक्त तिथियों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।)

(2) आवेदन शुल्क:-

- i) सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर)/अति पिछड़ा वर्ग (नॉन कीमीलेयर), अनुमूचित जाति एवं अनुमूचित जन जाति, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) एवं निःशक्तजन श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये रु 200/- (अक्षरे दो सौ रुपये मात्र) (केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी के लिये।)

(3)आरक्षण:-

- i) महिलाओं के 30 प्रतिशत आरक्षण में 8 प्रतिशत परिचक्षा (विवाह विच्छिन्न) महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार वर्गवार आरक्षण देय होगा। किसी वर्ग (सामान्य/अजा/अजजा/अपिव/अति पिछड़ा वर्ग)/ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी से भरा जावेगा। अनुमूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को उनके पिता के नाम/निवास स्थान के आधार पर राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम/निवास स्थान से जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- ii) अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं कीमीलेयर/ नॉन कीमीलेयर की प्रविस्तिया सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा।
- iii) विज्ञापित उक्त पदों के लिये राजस्थान विवांगजन अधिकार नियम 2018 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों (Persons With Disabilities ) को 4 प्रतिशत आरक्षण क्षेत्रिज रूप से देय होगा, अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग के पदों में समायोजित किया जावेगा। विशेष योग्यजन की पुथक से मेरिट सूची बनाकर चयनित अभ्यर्थियों को उनकी मूल जाति वर्ग के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित माना जावेगा।
- iv) नोट:- 40 प्रतिशत या उससे अधिक नियमकता होने पर ही इस वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जावेगा। विभाग द्वारा विज्ञापित इन पदों हेतु पात्र विशेष योग्यजन श्रेणियों का विवरण नियमानुसार है:-

पद नाम	पात्र विशेष योग्यजन श्रेणी
कम्पाउण्डर/नर्स जूनियर ग्रेड	OL (One Leg) LV (Low Vision) HH (Hard of Hearing) <b>Dwarfism and acid attack victims</b>

- v) उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों को नियमानुसार 2 प्रतिशत आरक्षण क्षेत्रिज (Horizontal) देय होगा एवं इसका समायोजन उसी प्रवर्ग में किया जावेगा, जिस प्रवर्ग का अभ्यर्थी है। इस असहित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा और ऐसी रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिये अप्रणीत नहीं की जायेगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी

आयोडन करे जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एफ05(31)डी.ओ.पी./ए-ग/84 दिनांक 21.11.2019 में नीचे चर्चित योग्यता रखता हो।

इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अन्यथी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आवश्यित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रावधान— कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एफ05(31)डी.ओ.पी./ए-ग/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार

1. उक्त सारणी स्तम्भ संख्याक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ संख्याक 3 में उल्लिखित खेल कूट के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो—

क्रम संख्या	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था	टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप का नाम
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलंपिक गेम्स (भीजाफालीन)
2	एशिया ओलंपिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स जो सामान्यत सोफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप
6	एशिया ओलंपिक परिषद से सम्बद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैम्पियनशिप
7	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूट के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में मॉडल जीता हो।

या

3. इंडियन ओलंपिक ऐसोसिएशन या इससे सम्बद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूट के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मॉडल जीता हो।

या

4. ऐसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मॉडल जीता हो।

या

5. इंडियन ओलंपिक ऐसोसिएशन/पेरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया या इससे सम्बद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूट की नेशनल चैम्पियनशिप/पेरा नेशनल चैम्पियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पेरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान नोट— कृपया उत्कृष्ट श्रेणी वे ही अन्यथी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण-पत्र हो।

11

vii)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के आरक्षित पद के बीच इन वर्गों के राजस्थान राज्य के मूल निवासी अस्थिरियों से ही भरे जायेंगे। इन वर्गों के राजस्थान राज्य के रूपाई निवासी नहीं होने पर अस्थिरी को सामान्य वर्ग में माना जायेगा।

viii)

राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कीमीलेयर श्रेणी के अस्थिरी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग (किमीलेयर एवं नौन किमीलेयर) अस्थिरी सामान्य वर्ग के माने जायेंगे।

ix)

विज्ञापित पदों में राजस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अस्थिरी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक नियम अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी, 2013 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को आगामी तीन भर्ती वर्षों के लिये अप्रणीत किया जावेगा। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे वर्षों को उक्त तीन वर्ष की अवधि में संगमित नहीं किया जावेगा।

x)

राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग (नौनकीमीलियर) के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अस्थिरी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा।

#### (4) वेतनमान एवं अन्य सुविधाएः-

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र संख्या F.15(1)FD/Rules/2017, दिनांक: 30-अक्टूबर, 2017 के अनुसार चयनित अस्थिरियों को दो वर्ष के प्रोबोशनकाल में निम्न प्रकार नियत पारिश्रमिक देय होगा:-

क्र. सं.	पद नाम	पे मेड्रिक्स लेवल	प्रोबोशनकाल में देय नियत पारिश्रमिक
1	कम्पाउण्डर-नर्स जूनियर ग्रेड	L-10	23700/-

दो वर्ष की कालावधि का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही उक्त वर्गित नियमित वेतन शुंखला देय होगी। चयनित/नियुक्त होने वाले अस्थिरियों के लिये राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 से निर्धारित की गई अंशतामी पेशन योजना लागू होगी।

#### (5) शैक्षणिक योग्यता:-

भारत में विधि द्वारा शापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद नर्सिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा या चार वर्षीय बी.एस.सी (आयुर्वेद नर्सिंग), साथ में इर्टनशिप परन्तु यह है कि उपरोक्त अहंक शैक्षणिक योग्यता, जो सीधी भर्ती के लिये नियमों या अनुसूची में यथा उल्लेखित पद के लिये निर्धारित है, आवेदन की अंतिम दिनांक तक प्राप्त करने वाला अस्थिरी पद के लिये आवेदन करने के लिये पात्र होगा।

## (6) आयु:-

आवेदक 7/6/कार्मिक/क-ा/2008 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार "जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं सीधीकरण- आयुर्वेद विभाग राजस्थान द्वारा वर्ष 2018 के बाद उक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञाप्ति जारी नहीं होने के कारण समर्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी।

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं सामान्य सर्वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।
2. विधवा एवं परिवता (विवाह-विच्छिन्न) महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो।

**स्पष्टीकरण :-** विधवा अभ्यर्थी के मामले में अभ्यर्थियों को अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और परिवता (विवाह-विच्छिन्न) महिला के मामले में उसे विवाह विन्देश का सक्षम न्यायालय द्वारा जारी निर्णय/दिक्की प्रस्तुत करनी होगी। आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

3. राज्य के कार्य कलापों के संबंध में अधिकार्यी तौर पर सेवा कर रहे व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
4. कार्मिक विभाग की अधिसूचना एफ 2(6)डीआरी/ए-ा/90 दिनांक 08.04.2010 के नियम 10 का संशोधन में ऐसे विभागीय कर्मचारी जो कम्पाउण्डर/नर्स, कॉनील ग्रेड के पद के लिए अहता रखते हैं, कम्पाउण्डर/नर्स कनिष्ठ ग्रेड के पद पर नियुक्ति के लिए 50 वर्ष तक की आयु तक पात्र होगे।

राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 1966 एवं संशोधन नियम 2021 के नियम 10 के प्रत्यक्ष के अनुसार राजस्थान राज्य सरकार, मुख्यमंत्री बी.पी.एल., जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर या सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कोई आयुष परियोजना के तहत कार्यानुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को निरन्तर सेवा में रहने पर सेवा अवधि के बर्षों के आधार पर आयु में छूट देय होगी जो कि अधिकतम 5 वर्ष तक होगी।

## (7) चयन का आधार:-

राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 एवं संशोधित नियम 2013 व संशोधित नियम 2021 के नियम 19 के प्रावधानों के तहत अभ्यर्थियों को बोनस अंक देय है।

1. इन विज्ञापित पदों के लिए राज्य सरकार, मुख्यमंत्री बीपीएल, जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर या सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कोई आयुष परियोजना के अन्तर्गत विज्ञापित पद के समान कार्य (Similar Work) पर कार्य करने की अवधि के आधार पर अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव पर 10 प्रतिशत बोनस अंक एवं अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक देय होगे। एक वर्ष से कम अवधि के लिये कोई बोनस अंक देय नहीं होगा।
2. कम्पाउण्डर/नर्स जूनियर ग्रेड पदों की सीधी भर्ती के लिए विरियता मूल्यी उक्त नियमों के नियम 19 एवं तदन्तर्गत जारी अधिसूचना कार्मांक प.10(1) आयु./ 2012 पार्ट । दिनांक 4.10.2018 में वर्णित प्रावधानों के तहत तैयार की जावेगी। जिसके अनुसार राजस्थान राज्य सरकार, मुख्यमंत्री बीपीएल, जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर या सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कोई आयुष परियोजना के आधार पर अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक दिये जायेगे। प्रत्येक एक पूर्ण

वर्ष के अनुभव पर 10 प्रतिशत बोनस अंक एवं अधिक अवधि के कार्पुर्जन्व ने लिए अधिकतम 30 प्रतिशत बोनस अंक दिये जावेंगे (365 दिवस पूर्ण होने पर ही एक वर्ष माना जावेगा) एवं 70 प्रतिशत वेटेज अम्यर्थी द्वारा उक्त नियमों के सलान अनुसूनी में वर्णित अहंक परीक्षा में अम्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के औसत प्रतिशत को दिया जायेगा।

3. सीधी भर्ती हेतु वरियता सूची तैयार करने हेतु 70 प्रतिशत वेटेज अम्यर्थी द्वारा राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनरथ सेवा नियम, 1966 में सशोधन नियम, 2013, सशोधित नियम 2021 एवं उक्त नियमों के सलान अनुसूनी में वर्णित अहंक परीक्षा में अम्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत का औसत प्रतिशत दिया जायेगा, अर्थात् यदि किसी अम्यर्थी द्वारा अपनी अहंक परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किये गये हैं एवं उसे 3 पूर्ण वर्षों का बोनस अंकों का लाभ दिया जाना है तो उसका प्रतिशत  $80 \times 70 \div 100 + 30 = 86$  औसत प्रतिशत होगा एवं यदि किसी अम्यर्थी जिसे बोनस का लाभ नहीं मिला है, कि अहंक परीक्षा में प्राप्तांक 80 प्रतिशत है तो नियुक्ति के उद्देश्य के लिए उसका प्रभावी प्रतिशत  $80 \times 70 \div 100 = 56$  अंक औसत प्रतिशत होगा। वरियता सूची तैयार करने हेतु यह प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

4. विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप सलान है।

5. वरियता सूची में चयनित अम्यर्थियों को पात्रता दस्तावेज़ शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, अन्य योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे।

#### (8) चयन के लिये अयोग्यता:-

1. कोई भी पुरुष अम्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं सेवा में नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है के आधार पर इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अम्यर्थी को छूट न दे दें। अन्यथा इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अम्यर्थी को छूट देय नहीं होगी।
2. कोई भी महिला अम्यर्थी जिसने किसी भी अम्यर्थी को छूट देय नहीं होगी जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने पश्चात कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है, के आधार पर इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अम्यर्थी को छूट न दे दें। अन्यथा इस प्रवर्तन के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि कोई पत्नी हो, सेवा में नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगी।
3. ऐसा कोई भी अम्यर्थी जिसके 1 जून 2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक जीवित बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी, परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अम्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरहित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विघ्मन उसके बच्चों की सख्त्या में बढ़ाती नहीं होती परन्तु यह और कि जहां किसी अम्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से एक ही बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं वहाँ बच्चों की कुल सख्त्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों की कुल सख्त्या की गणना करते समय पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा और निश्चकता वाली संतान की गणना नहीं की जायेगी।
4. विशेष नोट :- अम्यर्थी के बच्चों की कुल सख्त्या की गणनी करते समय डिसएबिलिटि (Disability) वाले बच्चों के संदर्भ में कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन कमांड एफ.7(1)डीओपी/ए-आर-95/पार्ट-11 दिनांक 24 फरवरी, 2011 के प्रावधान लागू होंगे। आयोग/सरकार/किसी सक्षम न्यायिलय द्वारा किसी भी परीक्षा में वीचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अस्तित्व दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माने जावेंगे।
5. शासन के परिपत्र कमांड प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22 मई, 2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अम्यर्थियों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे।

27

6. आवेदक के लिये राजस्थान आयुर्वेदिक, चुनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 1966, संशोधित नियम, 2010 एवं संशोधित नियम 2013 एवं 2021 में यथाविहित समस्त अन्य योग्यताएँ पूर्ण करना आवश्यक है। वह आवेदित पद के लिये इन नियमों के तहत नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं होना चाहिये।

7. किसी भी विवाहित अस्थार्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्थिकार किया हो।

(१) दस्तावेजों का सत्यापन:-

1. वरियता सूची के अनुसार अस्थार्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आड़त करने पर तय स्थान पर व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु आड़त अस्थार्थियों को निर्धारित स्थान पर विस्तृत आवेदन पत्र मय चैक लिस्ट विभाग द्वारा तय निर्धारित तिथि को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके साथ अस्थार्थी द्वारा भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति ऑनलाइन आवेदन के समय घोषित शैक्षणिक / व्यावसायिक योग्यता / अन्य योग्यता के प्रमाण पत्र, जाति/वर्ग प्रमाण पत्र, मूलनिवास प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों आदि कि प्रमाणित प्रतिलिपि भी सलग्न करनी होगी और विभाग द्वारा बुलाये जाने पर उक्त दस्तावेजों की मूल प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। मूल प्रमाण पत्रों से प्रस्तुत दस्तावेजों का मिलान नहीं करने पर आवेदक की पात्रता स्वीकार नहीं कि जायेगी। यदि आवेदक विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को समस्त दस्तावेजों सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होता है तो आवेदक की पात्रता स्वीकार नहीं की जायेगी।

2. आवेदन करने की अनित्य तिथि के बाद जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।  
3. दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत अस्थार्थियों के समस्त दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही उनकी नियुक्ति बाबत विचार किया जावेगा। आवेदन पत्र में उल्लेखित एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों को सत्यापन करने वाली संख्या / सक्षम अधिकारी के कार्यालय से सत्यापन होने के पश्चात ही मूल दस्तावेज लौटाये जावेगे।  
4. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर ही चयन प्रक्रिया में प्रोविजनल रूप से समिलित किया जावेगा।  
5. कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा जानबूझकर आमक सूचना देने पर आवेदक का आवेदन निरस्त करने के साथ आपराधिक कार्यवाही भी अनल में लाई जावेगी।

(सीमा शर्मा)  
निदेशक

कार्यालय

क्रमांक:-

अनुभव प्रमाण पत्र

दिनांक:-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमति/ कुमारी ..... पुत्र/पति/पुत्री श्री..... निवास..... की नियुक्ति.....  
के आदेश क्रमांक..... दिनांक..... के द्वारा कम्पाउण्डर/ नर्स के पद पर संविदा/अनुबंध/अस्थाई आधार पर.....  
संस्था/परियोजना में की गई थी, जो इस पद पर दिनांक..... से दिनांक..... तक कार्रवत है/रहा है/रही है। इनकी उक्त पद पर<sup>1</sup>  
कुल कामे अवधि..... वर्ष..... माह..... है।

हस्ताक्षर

नाम:-  
पदनाम:-  
कार्यालय स्टाफः:-

1. उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग/प्राचार्य मेडिकल/डेट्स्टल कॉलेज/अधिक्षक संलग्न चिकित्सा समूह/पीएमओ/सीएमएचओ/कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर/निदेशक एसएमयू/निदेशक आर.आर.सी./सरकार द्वारा संचालित परियोजना के लिये परियोजना निदेशक अथवा सक्षम अधिकारी को उनके अधीन कार्य करने के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी माना जावेगा। यदि विभाग द्वारा किसी अन्य अधिकारी को भी सक्षम अधिकारी घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
2. अम्बरी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने के स्वायत्पन के पश्चात ही बोनस अंक/आयु में शिखिलता नियमानुसार दी जावेगी एवं विभाग द्वारा चाहे जाने पर मूल अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
3. अनुभव प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर बोनस अंक देय नहीं होगे एवं इसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।  
नोट:- अनुभव अवधि की गणना इन पदों की इस भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि के ठीक पूर्व दिवस तक की जावेगी।